रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 560] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 29, 2017/आषाढ़ 8, 1939
No. 560] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 29, 2017/ASADHA 8, 1939

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2017

सा.का.नि. 728(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियम और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश को मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियम और कदाचारों की रोकथाम) संशोधन आदेश, 2017 कहा जाए।

(2) यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियम और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 में खंड 6ए के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:—

"6ए (1) केन्द्रीय सरकार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों और विनिर्दिष्ट मिश्रण सीमाओं के अनुसरण में सभी उपभोक्ताओं को हाई स्पीड डीजल में मिश्रण के लिए जैव डीजल (बी-100) का सीधा विक्रय करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकती है ।

(2) जैव डीजल (बी-100) का विक्रय करने वाले प्रत्येक विक्रय केन्द्र स्वामी को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों और वाहनों के विनिर्माताओं द्वारा विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय सीमाओं की सूचना उपभोक्ताओं द्वारा उनके वाहनों में जैव डीजल (बी-100) का मिश्रण करने के लिए, कारबार के स्थान पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना होगा।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए "तेल कंपनी" से इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, कोई भी निजी जैव डीजल विनिर्माताओं, ऐसी तेल कंपनियों के प्राधिकृत व्यवहारियों और केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के संयुक्त उद्यम अभिप्रेत है"

[फा. सं. पी-11013/1/2015-वितरण]

आशुतोष जिंदल, संयुक्त सचिव

नोट : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 729(अ) तारीख 19 दिसंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 18(अ), तारीख 12 जनवरी, 2007, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2009, अधिसूचना संख्यांक 352(अ) तारीख 6 मई, 2014 और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 621(अ), तारीख 10 अगस्त, 2015 के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2017

G.S.R. 728(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, namely:—

1. (1) This Order may be called the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Amendment Order, 2017.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, for clause 6A, the following clause shall be substituted, namely :—

"6A(1) The Central Government may permit the direct sale of bio-diesel (B-100) for blending with high speed diesel to all consumers, in accordance with the specified blending limits and the standards specified by the Bureau of Indian Standards.

(2) The owner of every outlet selling bio-diesel (B-100) shall prominently display at the place of business the permissible limits specified by the manufacturers of vehicles and the standards specified by the Bureau of Indian Standards for blending of bio-diesel (B-100) for use of consumers in their vehicles.

Explanation.—For the purposes of this clause, "oil company" means the Indian Oil Corporation Limited, the Hindustan Petroleum Corporation Limited, the Bharat Petroleum Corporation Limited, any private bio-diesel manufacturers, the authorized dealer of such oil companies and joint ventures of public sector oil marketing companies authorised by the Central Government."

[F. No. P-11013/1/2015-Dist.]

ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 729(E), dated the 19th December, 2005 and subsequently amended *vide* number G.S.R.18(E), dated the 12th January, 2007, number G.S.R.1(E), dated the 1st January, 2009, number G.S.R. 352(E) dated the 6th May, 2014 and number G.S.R. 621(E) dated the 10th August, 2015.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.06.29 23:10:52 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.